

Form 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the
102 NASIRABAD Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –


SHRIRAMSWAROOP LAMBA

MU. GOPALPURA, POST-SINGAWAL, P.S. BHINAI, DIST-KEKRI

sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place- AJMER

Date - 03-12-2023


(Anshul Aameria)
Returning Officer
102- Nasirabad Assembly Constituency
(Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate Nasirabad)
(Anshul Aameria)
Returning Officer
SDM Nasirabad
Assembly Constituency 102-Nasirabad

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

102 - नसीराबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करतीहूँ कि -

श्री रामस्वरूप लाम्बा

मु. गोपालपुरा, पोस्ट-सिंगावल, प.स. भिनाय, जि-केकडी

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- अजमेर

दिनांक:- 03.12.2023

3
(अंशुभा आमेरिया)
(अधिल अमेरिया)
रिटनिम अधिकारी

102-नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र
(एसडीएम) नसीराबाद (102)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नसीराबाद